

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्र- 28 अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- चनारी प.ह.नं. 01

तहसील मालथौन जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 03 /06 /2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार मालथौन एवं अनुविभागीय अधिकारी मालथौन जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार मालथौन का प्रकरण क्रमांक-0018 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा चनारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वन विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम गठित कर मौका जांच पंचनामा लिया गया। राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण पंचनामा में बताया है कि ग्राम चनारी प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. मालथौन में स्थित भूमि ख.नं. 161 रकवा 11.29 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कैफियत में परिवर्तन (खसरे में नाम परिवर्तन) करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा. चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार मालथौन के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार मालथौन/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मालथौन के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा चनारी प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. मालथौन तहसील मालथौन जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	चनारी	01	161	11.29	11.29	वन विभाग म.प्र.शासन

P.T.O.

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला-सागर

पृ0क्र0 / 4288/री0कले0/2019
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक 03/06/2019

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार मालथौन जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला-सागर

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- २७ अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- मालथौन प.ह.नं. 02

तहसील मालथौन जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,

बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 03 /06/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार मालथौन एवं अनुविभागीय अधिकारी मालथौन जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार मालथौन का प्रकरण क्रमांक-0017 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा मालथौन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वन विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम गठित कर मौका जांच पंचनामा लिया गया। राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण पंचनामा में बताया है कि ग्राम मालथौन प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. मालथौन में स्थित भूमि ख.नं. 597/1/2 रकवा 13.76 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कैफियत में परिवर्तन (खसरे में नाम परिवर्तन) करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार मालथौन के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार मालथौन/अनुविभागीय अधिकारी (रा. मालथौन) के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा मालथौन प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. मालथौन तहसील मालथौन जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख.नं.0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	मालथौन	02	597/1/2	13.76	13.76	वन विभाग म.प्र.शासन

P.T.O.

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 03/06/2019

पृ0क0/4289/री0कले0/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ~~मालथौन~~ जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार मालथौन जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

जिला-सागर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म बी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं. 1110100100001211000118

ग्राम:वनारी		हल्का :अटकनं.001		य.नि.म. :मालखान		तहसील :मालखान		जिला :सागर		वर्ष: 2018-2019		
क्रमंक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सांख्यिकी न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देख रख रख का ज्ञान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौकसी काअकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, ज्ञान या पट्टे की रकम और उपपट्टे पर दिए गये पाप का क्षेत्रफल	खाली की भूमि							खाली के बाद के क्षेत्रों में बांटे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैशियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई		पट्टी का क्षेत्रफल						
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दफ्तरी क्षेत्रफल	बातू वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
161	11.290 0	म.प्र.शासन वन विभाग पटा निवासी ग्राम भूमि स्वामी					11.290 0				श्रीमान कलेक्टर महोदय का रा.प्र.क्र.०२/अ.१९.३ वर्ष २०१२-१३ में पारित आ.दि.१५-११-२०१२ के अनुवर्गविभाग की डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले में दिये जाने के लिये आराक्षित की गई कलेक्टर महोदय के आ.दि.१२/०२/२०१४ के द्वारा हस्ताक्षरित की गई श्रीमानकलेक्टर महोदय सागर का रा.प्र.क्र.००२८ अ/१९.३ वर्ष २०१४/२० में पारित आदेश दिनांक ०३-०६-२०१९ के अनुसार ग्राम वनारी०१ के ख.नं. १६ १ रकवा ११.२९ हे० बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहु उद्देशीय परियोजना के स्थान पर बाण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्ताक्षरित की गई	



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म वी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं. 1110100100002208000382

ग्राम:मालखान		हल्का :मालखान 002		रा.वि.म. :मालखान		तहसील :मालखान		जिला :सागर		वर्ष: 2018-2019	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली न हो तो उसका वर्णन)	कहेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देश राजस्व का लयान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौखी कार्रकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लयान या पट्टे की रकम और उपपट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि							
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई		फसल का क्षेत्रफल					
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुरुस्तगी क्षेत्रफल	चार वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अथवा 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई भी फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597/1 /2	13.760 0	मो प्रो शासन (वन विभाग) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी					13.760 0				श्रीमान कलेक्टर महोदय का सांप्र ००२२अ/१९३ वर्ष १२-१३ में पारित आ०दि ०१५-११-२०१२ के अनुसार वनविभाग की डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले में दिये जाने के लिये आरक्षित की गई कलेक्टर महोदय के आ०दि० १२/०२/२०१४ के द्वारा हस्तांतरित की गई श्रीमानकलेक्टर महोदय सागर का याप्रक्र ००२७ अ/१९३ वर्ष २०१९/२० में पारित आदेश दिनांक ०३-०६-२०१९ के अनुसार ग्राम मालखान०२ के ख.नं. ५९७/१/२ रकबा १३.७६ हे० बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली व न भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरित की गई

